आर्बिट मॉल के बाहर बीयर की बोतल मारकर बाउंसर की हत्या

- कंधा टकराने को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया
- पुलिस ने चार आरोपियों को दबोचा

पुलिस से बचने के लिए भागते समय नाले में कूद गए आरोपी

गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में आरोपी भागते हुए नाले में कूद गए, जिससे उन्हें चोटें आईं. पूछताछ में चारों ने मामूली विवाद के बाद बीयर की बोतल से हमला करना स्वीकार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों में अखिलेश वासरे उम्र 22 साल निवासी प्रकाशचंद्र सेठी नगर, अमोघ एम. रैदास उम्र 21 वर्ष निवासी विराट नगर मूसाखेड़ी, आकाश कदम उम्र 31 निवासी प्रकाशचंद्र सेठी नगर और वरुण श्रीवास उम्र 21 निवासी मयूर नगर मूसाखेड़ी शामिल हैं.

इंदौर. विजयनगर स्थित आर्बिट मॉल के बाहर मंगलवार रात एक बाउंसर की सिर पर बीयर की बोतल मारकर हत्या कर दी गई. बाउंसर गोलू चंद्रवंशी अपने दोस्त के विवाद को सुलझाने पहुंचा था, जहां नशे में धुत्त बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया. उसके दोस्त का कंधा टकरा जाने की मामूली बात पर कुछ युवकों से विवाद हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए विजय नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया.

थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि 10 फरवरी की रात करीब 11 बजे ऑर्बिट मॉल के पास भूसा मंडी निवासी गोलू चंद्रवंशी के एक दोस्त और चार युवकों के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ था. बताया जा रहा है कि एक-दूसरे से कंधा टकराने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इसी दौरान आरोपियों ने बीयर की बोतल से गोलू पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक, एडीसीपी अमरेन्द्र सिंह और एसीपी पराग सैनी के निर्देशन में थाना प्रभारी व उनकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर घेराबंदी करते हुए उन्हें दबोच लिया.

हमले में दोस्त भी हुआ घायल : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर नशे की हालत में थे और उन्होंने बेहद आक्रामक तरीके से गोलू के सिर पर बीयर की बोतल से वार किए. इसमें गोलू का दोस्त हरिओम भी घायल हुआ है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल अवस्था में गोलू को मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. गोलू पेशे से बाउंसर था और हाल ही में उसने पीयू-4 इलाके में एक कैफे का संचालन भी शुरू किया था.

फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन हड़पने वाले दो फरार आरोपी धराए

मामले के दो आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार

इंदौर. कृषि भूमि के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह पर क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसते हुए दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपियों में चंदन कीर और मेहरबान सिंह कीर शामिल हैं. इससे पहले इस मामले में प्रवीण पूनमचंद और प्रवीण सिसोदिया को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. मामले की आरोपी दो महिलाएं अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच की ईओडब्ल्यू टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई. शिकायतकर्ता विशाल सिंह ने क्राइम ब्रांच को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने फर्जी अनुबंध पत्र और नक्शे तैयार कर करोड़ों रुपये मूल्य की कृषि भूमि को अवैध रूप से बेचकर भारी मुनाफा कमाया है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने आपसी षड्यंत्र कर जमीन के स्वामित्व से जुड़े सिविल विवाद के निराकरण से पहले ही कूटरचित दस्तावेज और फर्जी कॉलोनी का नक्शा बनाकर तीसरे पक्ष को जमीन बेच दी. इस तरह करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपये की रकम हड़प ली.

आरोपियों से और भी मामलों का खुलासा होने की उम्मीद

मामले में चंदन कीर, मेहरबान सिंह कीर, सीमाबाई, कृष्णाबाई, प्रवीण पूनमचंद और प्रवीण सिसोदिया को आरोपी बनाया है. क्राइम ब्रांच ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर टीम की मदद से चंदन को चिन्हित कर गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. आरोपियों से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और फर्जी दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ जारी है. पुलिस को आशंका है कि गिरोह से जुड़े और भी ठगी के मामलों का खुलासा हो सकता है. फिलहाल सभी आरोपियों की पुलिस रिमांड लेकर उनके सहयोगियों, बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

दोस्तों ने दिया था नाबालिग को कुएं में धक्का

- दो नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज

इंदौर. खजराना क्षेत्र में मामूली विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया, जहां खेलते समय हुए झगड़े के दौरान एक 15 वर्षीय किशोर कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मामले में दो नाबालिगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी मनोज सेंधव ने बताया कि मृतक समीर राठौर पिता स्व. धर्मेंद्र राठौर निवासी पटेल नगर अपने दोस्तों के साथ दिव्य शक्ति मंदिर के पीछे पुष्प विहार कॉलोनी स्थित कुएं के पास खेल रहा था. इसी दौरान खेल के बीच दोस्तों में गाली-गलौज और धक्का-मुक्की हो गई. विवाद के दौरान संतुलन बिगड़ने से समीर कुएं में जा गिरा. स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना पर खजराना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की. बाद में पुलिस ने परिस्थितियों के आधार पर प्रकरण दर्ज कर दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. थाना प्रभारी का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

ट्रांसजेंडर उत्पीड़न मामला : फरार आरोपी पर इनाम बढ़ाकर 20 हजार किया

- घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी की तलाश तेज

इंदौर. ट्रांसजेंडर व्यक्ति से जुड़े गंभीर अपराध के एक मामले में पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी अक्षय कुमायुं की गिरफ्तारी के लिए इनामी राशि बढ़ा दी है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी को पकड़ने या उसकी सटीक सूचना देने वाले को अब 20 हजार रुपए नकद इनाम दिया जाएगा. पहले यह राशि 10 हजार रुपए घोषित थी. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) नगरीय पुलिस अमित सिंह ने बताया कि संबंधित प्रकरण बीएनएस और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत पंढरीनाथ थाने में दर्ज है. घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास किए जा चुके हैं.

फरार आरोपी का नाम अक्षय कुमायुं निवासी इंदौर है. उसकी गिरफ्तारी पर पहले 18 अक्टूबर 2025 को 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन अब मामले की गंभीरता को देखते हुए इनामी राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है. आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति या पुलिसकर्मी को नियमानुसार इनाम दिया जाएगा और एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में अंतिम निर्णय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा लिया जाएगा.

आम नागरिकों से अपील की है कि आरोपी के संबंध में कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल थाना पंढरीनाथ या नजदीकी पुलिस इकाई को सूचित करें, ताकि उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

एक नजर में

बंद पड़े फ्रूट कोर्ट में वकीलों को दुकानें देने की मांग

महू. न्यायालय परिसर के समीप कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा फ्रूट कोर्ट के नाम से 100 से अधिक दुकानों का निर्माण एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराया गया था. इस परिसर का उद्घाटन 11 फरवरी 2023 को महानिदेशक रक्षा संपदा, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के अजय शर्मा (आईडीईएस) द्वारा किया गया था, लेकिन तीन वर्ष बाद भी यहां व्यवसाय प्रारंभ नहीं हो सका है. लंबे समय से खाली पड़े रहने के कारण परिसर की स्थिति लगातार जर्जर होती जा रही है. इस विषय को लेकर महू अभिभाषक संघ ने ज्ञापन सौंपकर छावनी परिषद का ध्यान आकर्षित किया है. संघ के अध्यक्ष भारत सिंह ठाकुर एवं सचिव अभिषेक जायसवाल ने छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सीईओ) विकास कुमार को ज्ञापन सौंपकर बताया कि न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जबकि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है. सीमित स्थान के कारण कई अभिभाषकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ज्ञापन में मांग की गई है कि फ्रूट कोर्ट की खाली पड़ी दुकानों को अभिभाषकों को उचित किराए पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि महू एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं को न्यायालय के समीप ही कार्यालयीन कार्य के लिए स्थान मिल सके. इससे जहां अधिवक्ताओं को सुविधा मिलेगी, वहीं करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित परिसर का भी सार्थक उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा. इस अवसर पर अनेक अभिभाषक उपस्थित थे.

पहाड़ी गांव चोरल की बेटी ज्योति ने किया देश में नाम रोशन

महू. अगर बेटियों को उचित अवसर दिया जाए तो वे भी आसमान छू सकती हैं. महू विधानसभा के सुदूर अंतिम गांव ग्वालू के एक किसान ने अपनी बेटी ज्योति पंवार की प्रतिभा को उड़ने के लिए पंख दिए और आज उसने अपनी मेहनत प्रतिभा से आज अखिल भारतीय महिला नेटबॉल विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम में स्थान बनाकर न केवल अपने गांव, बल्कि महू का नाम भी रोशन किया है. इंदौर में पढ़ने वाली ज्योति पंवार टीम के साथ आंध्र प्रदेश में होने वाली अखिल भारतीय महिला नेटबॉल विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेगी. ज्योति ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच की पोती तथा कृषक गजेंद्र पंवार की बेटी है. उनके इस चयन पर पूरे अंचल के साथ-साथ पूरी महू विधानसभा में खुशी का माहौल है. माता-पिता उनके इस चयन पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. शुभचिंतकों एवं परिवार ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आंध्रप्रदेश के लिए भावपूर्ण बिदाई दी.

फुटबॉल : लक्की रेलिंग को हराकर इंदौर रोड अगले दौर में

महू. हाई स्कूल स्टेडियम ग्राउंड में चल रही अभा स्व. माधव राव सिंधिया गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा के दूसरे दिन लक्की रेलिंग को हराकर इंदौर रोड ने प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश किया. स्पर्धा में इंदौर जिला फुटबाल संघ से पंजीकृत देश की लगभग 24 प्रतिष्ठित टीमें में भाग ले रही हैं. यह जानकारी आयोजन समिति के उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह दरबार ने दी. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में चार टीमें अखिल भारतीय फुटबाल स्पर्धा में क्वालीफाई करेंगी. स्पर्धा में केरला एफसी, फॉरेनर 11 चित्तौड़गढ़, झारखंड एफसी, केंट फुटबॉल क्लब झांसी, हरियाणा फुटबॉल क्लब, नीमच फुटबॉल क्लब, सिटी क्लब रतलाम, फॉरेनर 11 भोपाल, टीकमगढ़ फुटबॉल क्लब जैसी प्रख्यात टीमें भाग ले रही हैं. स्पर्धा का मुख्य आकर्षण कई फॉरेन प्लेयर हैं, जो अपनी टीमों की ओर से भाग ले रहे हैं. वे स्थानीय खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव भी साझा करेंगे. मैच के मुख्य अतिथि सुंदर दास थे. स्वागत स्पर्धा के उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह दरबार, सुरेश वैद्य, आसिफ खान, धीरज चौहान, अमन वैद्य आदि ने किया. निर्णायक के रूप में मैच पोस्टिंग इंचार्ज सुरेश वैद्य, मैच कमिश्नर के रूप में शशि यादव, अजय यादव, निर्मल सिलावट, रमेश पथरकर, अमजद मंसूरी, आयुष शर्मा, गोविंद पटेल, सुमित वर्मा, प्रद्युम्न वर्मा उपस्थित थे.

बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदलकर व महिला से निवेश के नाम पर धोखाधड़ी

- पुलिस ने दो अलग-अलग मामले किए दर्ज

इंदौर. शहर में साइबर और वित्तीय ठगी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. द्वारकापुरी और क्राइम ब्रांच थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दो अलग-अलग शिकायतों पर धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पहले मामले में द्वारकापुरी क्षेत्र के गुमास्ता नगर स्थित एसबीआई एटीएम से 58 वर्षीय मनीष कुमार श्रीवास्तव के साथ ठगी की गई. फरियादी ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने छलपूर्वक उनका एटीएम कार्ड बदल लिया और बाद में उसी कार्ड के जरिए खाते से रकम निकाल ली. पीड़ित को तब जानकारी लगी जब खाते से पैसे निकल चुके थे. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. वहीं दूसरे प्रकरण में क्राइम ब्रांच पुलिस को 42 वर्षीय मेघा गर्ग ने निवेश के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि चेन्नई निवासी वचिनाथन थंगवेल ने खुद को कंपनी डायरेक्टर बताकर छलपूर्वक उनसे रकम ऐंठ ली. बाद में न तो निवेश का लाभ मिला और न ही रकम लौटाई गई. पुलिस दोनों मामलों में तकनीकी साक्ष्यों और लेन-देन की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

बाड़े में आगजनी करने के आरोपी दो बदमाशों को दबोचा

- आग में झुलस गए थे गाय और बछड़ी
- पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने की थी वारदात

इंदौर. लसूड़िया क्षेत्र के निरंजनपुर में फरियादी के बाड़े में आग लगाकर गाय और बछड़ी को झुलसाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने महज आठ घंटे में गिरफ्तार कर लिया. आगजनी की यह वारदात पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई थी.

थाना प्रभारी तारेश सोनी ने बताया कि फरियादी दीमान सिंह चंदेल निवासी निरंजनपुर ने पुलिस को बताया कि घर के पास बने लकड़ी के छप्परनुमा बाड़े में उसकी गाय और बछड़ी बंधी थीं. रात करीब दो बजे मोहल्ले वालों ने आग लगने की सूचना दी. परिवार और पड़ोसियों की मदद से दोनों पशुओं को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वे झुलसकर घायल हो चुके थे और छप्पर पूरी तरह जल गया था. मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लसूड़िया पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की. मौके पर पशु एम्बुलेंस बुलाकर घायल गाय-बछड़ी का उपचार कराया गया.

एक आरोपी पर पहले से दर्ज हैं चोरी, मारपीट के केस

पुलिस के अनुसार, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में दो युवक आग लगाते हुए दिखे. फुटेज के आधार पर पहचान कर 30 वर्षीय आकाश उर्फ आकाश घोड़ी और 34 वर्षीय सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू वानखेड़े निवासी सोमनाथ की जूनी चाल एमआईजी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में दोनों आरोपी भागे, इस दौरान गिरने से उन्हें चोटें आईं, जिनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात करना स्वीकार किया. पुलिस रिकॉर्ड में आरोपी सिद्धार्थ पर पहले से चोरी, मारपीट और जुआ अधिनियम सहित कई मामले दर्ज हैं. लसूड़िया पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

गिरनारी गार्डन में चाकूबाजी में घायल किशोर ने दम तोड़ा

- तीन युवकों से हुए मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप

इंदौर. परदेशीपुरा क्षेत्र के गिरनारी गार्डन में हुए चाकू हमले में घायल 17 वर्षीय लक्की वर्मा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामले को हत्या में तब्दील कर दिया है और आरोपियों पर अब हत्या से जुड़ी गंभीर धाराएं जोड़ी जा रही हैं.

घटना 8 फरवरी की रात की है, जब लक्की अपने भाई पवन के साथ गिरनारी गार्डन में टहल रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद राज, अरमान और गगन से मामूली टकराव हो गया. विवाद बढ़ने पर तीनों ने गालियां दीं और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी. इसी बीच आरोपी गगन ने पीछे से चाकू निकालकर लक्की की पीठ पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. शोर सुनकर मौके पर लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए. लक्की को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पहले मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन अब युवक की मौत के बाद हत्या का केस कायम कर लिया गया है. परदेशीपुरा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है.

हत्या के प्रयास के तीन आरोपी छह घंटे में धराए

इंदौर. पलासिया पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल तीन आरोपियों को महज छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया चाकू भी बरामद कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, फरियादी राजेश शर्मा निवासी गणेश नगर ने थाना पलासिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 फरवरी की रात वह अपने मित्र धर्मेंद्र के साथ बड़वानी प्लाजा स्थित फ्लैट पर मौजूद था. इसी दौरान पास में रहने वाले शुभम, पंकज और पंकज पुरी बिना किसी वजह दरवाजा ठोककर विवाद करने लगे. गाली-गलौज के बाद तीनों ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की नीयत से राजेश पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया. फरियादी की शिकायत पर थाना पलासिया में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने तेजी से सुराग जुटाते हुए खंडवा निवासी शुभम (27), पंकज (25) और पंकज पुरी (26) को दबोच लिया. पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त चाकू भी जब्त किया है. तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है, वहीं पुलिस पूरे मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है.

एक नजर में — तकनीकी खामियां और मानवीय चूक के चलते मतदाता सूची की निष्पक्षता पर सवाल

एसआईआर : फॉर्म नंबर 7 के दुरुपयोग की आशंका जता रहे लोग

इंदौर. देश के कई राज्यों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. तकनीकी खामियों, मानवीय चूकों और कथित राजनीतिक दुरुपयोग के चलते मतदाता सूची की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया, लेकिन इस दौरान अनेक तकनीकी और मानवीय चूक सामने आ रही हैं. जानकारी के अभाव, दस्तावेजों की कमी और समय पर सत्यापन न होने के कारण बड़ी संख्या में आम नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए या काट दिए गए. इससे मताधिकार प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है. विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि आम नागरिकों को स्वयं अपनी मतदाता स्थिति की जांच करनी चाहिए तथा आधार पहचान पत्र और पते से जुड़े दस्तावेज समय रहते उपलब्ध कराएं. बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) से निरंतर संपर्क बनाए रखना भी आवश्यक बताया गया है. किसी भी त्रुटि की स्थिति में तय समय-सीमा के भीतर सुधार आवेदन करना जरूरी है. इधर, राजनीतिक माहौल के बीच फॉर्म नंबर 7 के दुरुपयोग की आशंकाएं भी सामने आई हैं. आरोप है कि कुछ तत्व राजनीतिक लाभ के लिए बिना संबंधित व्यक्ति की जानकारी के नाम हटाने के आवेदन कर सकते हैं. प्रशासन से मांग की जा रही है कि जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो.

यह बोले जागरूक नागरिक...

फॉर्म नंबर 7 का दुरुपयोग कानून और संविधान दोनों के खिलाफ है. इसकी सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी हैं बीएलओ और अधिकारियों के संपर्क कर उनसे सलाह लें.
– सलीम पठान, युवा नेता

हमारी एक छोटी सी लापरवाही हमारा वोट छीन सकती है. युवाओं को खासतौर पर दस्तावेज और सत्यापन को लेकर सतर्क रहना चाहिए. परिवार और आसपास के लोगों का भी सहयोग करें.
– मेहर सिंह टक्कर, ट्रांसपोर्टर

मतदाता सूची से नाम कटना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है. हर नागरिक को जागरूक होकर अपनी स्थिति जांचनी चाहिए और किसी भी गड़बड़ी की शिकायत तुरंत दर्ज करानी चाहिए.
– इरफान खान, समाजसेवी